प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 28 जून, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत स्वीकृत लेखानुदान को छोड़कर, वर्तमान में प्राविधानित धनराशि में अवशेष धनराशि के लिए वचनबद्ध/ आवश्यक व्यय वहन किये जाने हेतु धनराशि निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-18685/बजट 2022-23, दिनांक-10.06.2022 एवं शासनादेश संख्या-90/2022/465/002-100-B-2021, दिनांक-13 अप्रैल, 2022 तथा शासनादेश संख्या-91/2022/582/22-4-2022/003-100-बी-2021, दिनांक-27 अप्रैल, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक-13.04.2022 एवं 27.04.2022 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के राजस्व लेखा शीर्षक 2056-जेलें के अन्तर्गत मतदेय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 91138.37 लाख एवं भारित मद में रू0 10.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 91148.37 लाख में से अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के राजस्व लेखा शीर्षक 2056-जेलें के अन्तर्गत वचनबद्ध/आवश्यक व्यय वहन करने हेतु मतदेय एवं भारित मद में 04 माह (अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान की धनराशि क्रमशः रू0 3,03,79,44,000/-(रूपये तीन अरब तीन करोड़ उन्यासी लाख चौवालीस हजार मात्र) एवं रू0 3,33,000/-(रूपये तीन लाख तैंतीस हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 3,03,82,77,000/- (रूपये तीन अरब तीन करोड़ बयासी लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 (प्रति संलग्न) में निहित प्राविधानों के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत राजस्व लेखाशीर्षक 2056-जेलें के अन्तर्गत वचनबद्ध/आवश्यक व्यय वहन करने हेतु मतदेय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 11,41,50,01,000/- तथा भारित मद में रू0 10,00,000/- में से पूर्व में 04 माह (अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक) के लिए लेखानुदान में स्वीकृत मतदेय/भारित मद में क्रमशः धनराशि रू0 3,03,79,44,000/- तथा रू0 3,33,000/- को घटाते हुए मतदेय मद में रू0 8,37,70,57,000/- तथा भारित मद में रू0 6,67,000/- अर्थात कुल धनराशि रू0 8,37,77,24,000/- (रूपया आठ अरब सैतीस करोड़ सतहत्तर लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के आधीन प्रदान करती हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/विस्तृत धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अधीनस्थ कार्यालयों को मासिक उपयोग के आधार पर धनराशि आवंटित की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाय, ताकि उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाना सम्भव हो सके।

(3) आवंटन आदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 को आवश्यक रूप से पृष्ठांकित किये जायं। विशेष परिस्थिति में यदि अधिक धनराशि के आवंटन की आवश्यकता है तो समुचित कारण बताते हुये शासन की अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आवंटन किया जाय।

(4) मानक मद 43- सामग्री सम्पूर्ति में उपलब्ध बजट प्राविधान इस निर्देश के साथ आपके निवर्तन पर रखा जा रहा है कि कोई भी क्रय समय-समय पर वित्त विभाग तथा उघोग विभाग के द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा। किसी भी दशा में नियमों का किसी स्तर पर उल्लंघन न किया जाय।

(5) शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त के अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जाय कि व्य य सम्ब न्धी स्थाई वित्तीय नियमों तथा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनश्चित करते हुए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बाद ही धनराशि का व्यय किया जाय और वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022, जो आपको भी पृष्ठांकित है में प्रदत्त निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-7/2018/ए-1-08ए.जी./दस-2018-10(50)/2011, दिनांक-14 मार्च, 2018 द्वारा राज्य- की संचित निधि से धनराशि आहरित कर पी.एल.ए. में रखे जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। डिपाजिट कार्यों के लिये प्राप्तश धनराशियॉ सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा रेमिटैन्स लेखाशीर्षक '8782' में जमा कर वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-47/दस-97-10(9)/95, दिनांक-03 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी.सी.एल.) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

(8) कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में 15 डिजिट कोड सहित लेखाशीर्षक, भारित और अनुदान संख्या का उल्लेख किया जायेगा।

(9) बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार महानिरीक्षक कारागार इस बात के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के अन्तर्गत रखा जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2056000010300 (मुख्य--)

क्र0	**अनुदान संख्या**	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	025	2056000010300 मुख्य--	01 वेतन	8,75,45,000 (रुपये आठ करोड़ पचहत्तर लाख पैंतालीस हजार मात्र)
2	025	2056000010300 मुख्य--	03 मंहगाई भत्ता	3,23,92,000 (रुपये तीन करोड़ तेईस लाख बयान्वे हजार मात्र)
3	025	2056000010300 मुख्य--	04 यात्रा व्यय	3,33,000 (रुपये तीन लाख तैंतीस हजार मात्र)
4	025	2056000010300 मुख्य--	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5	025	2056000010300 मुख्य--	06 अन्य भत्ते	1,67,000 (रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र)
6	025	2056000010300 मुख्य--	07 मानदेय	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
7	025	2056000010300 मुख्य--	08 कार्यालय व्यय	15,33,000 (रुपये पंद्रह लाख तैंतीस हजार मात्र)
8	025	2056000010300 मुख्य--	09 विद्युत देय	61,67,000 (रुपये इकसठ लाख सड़सठ हजार मात्र)
9	025	2056000010300 मुख्य--	10 जलकर / जल प्रभार	6,67,000 (रुपये छह लाख सड़सठ हजार मात्र)
10	025	2056000010300 मुख्य--	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
11	025	2056000010300 मुख्य--	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4,33,000 (रुपये चार लाख तैंतीस हजार मात्र)
12	025	2056000010300 मुख्य--	13 टेलीफोन पर व्यय	10,67,000 (रुपये दस लाख सड़सठ हजार मात्र)
13	025	2056000010300 मुख्य--	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	36,67,000 (रुपये छत्तीस लाख सड़सठ हजार मात्र)
14	025	2056000010300 मुख्य--	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,67,000 (रुपये दो लाख सड़सठ हजार मात्र)
15	025	2056000010300 मुख्य--	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	6,67,000 (रुपये छह लाख सड़सठ हजार मात्र)
16	025	2056000010300 मुख्य--	22 आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	13,000 (रुपये तेरह हजार मात्र)
17	025	2056000010300 मुख्य--	23 गुप्त सेवा व्यय	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
18	025	2056000010300 मुख्य--	29 अनुरक्षण	13,00,000 (रुपये तेरह लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

19	025	2056000010300 मुख्य--	42 अन्य व्यय	1,83,000 (रुपये एक लाख तिरासी हजार मात्र)
20	025	2056000010300 मुख्य--	42 अन्य व्यय => (भारित)	6,67,000 (रुपये छह लाख सड़सठ हजार मात्र)
21	025	2056000010300 मुख्य--	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	2,66,67,000 (रुपये दो करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र)
22	025	2056000010300 मुख्य--	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,67,000 (रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र)
23	025	2056000010300 मुख्य--	45 अवकाश यात्रा व्यय	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
24	025	2056000010300 मुख्य--	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	11,67,000 (रुपये ग्यारह लाख सड़सठ हजार मात्र)
25	025	2056000010300 मुख्य--	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5,50,000 (रुपये पांच लाख पचास हजार मात्र)
26	025	2056000010300 मुख्य--	49 चिकित्सा व्यय	21,67,000 (रुपये इक्कीस लाख सड़सठ हजार मात्र)
27	025	2056000010300 मुख्य--	51 वर्दी व्यय	75,000 (रुपये पचहत्तर हजार मात्र)
28	025	2056000010300 मुख्य--	55 मकान किराया भत्ता	94,55,000 (रुपये चौरानवे लाख पचपन हजार मात्र)
29	025	2056000010300 मुख्य--	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	19,00,000 (रुपये उन्नीस लाख मात्र)
	कुल			**18,04,18,000** **(रुपये अठारह करोड़ चार लाख अठारह हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2056001010300 (समस्त कारागार)

	अनुदान	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	संख्या			
1	025	2056001010300 समस्त कारागार	01 वेतन	3,66,54,99,000 (रुपये तीन अरब छियासठ करोड़ चौवन लाख निन्यानवे हजार मात्र)
2	025	2056001010300 समस्त कारागार	02 मजदूरी	26,66,67,000 (रुपये छब्बीस करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र)
3	025	2056001010300 समस्त कारागार	03 मंहगाई भत्ता	1,65,77,53,000 (रुपये एक अरब पैंसठ करोड़ सतहत्तर लाख तिरपन हजार मात्र)
4	025	2056001010300 समस्त कारागार	04 यात्रा व्यय	10,80,000 (रुपये दस लाख अस्सी हजार मात्र)
5	025	2056001010300 समस्त कारागार	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	36,67,000 (रुपये छत्तीस लाख सड़सठ हजार मात्र)
6	025	2056001010300 समस्त कारागार	06 अन्य भत्ते	58,33,000 (रुपये अट्ठावन लाख तैंतीस हजार मात्र)
7	025	2056001010300 समस्त कारागार	07 मानदेय	43,000 (रुपये तैंतालीस हजार मात्र)
8	025	2056001010300 समस्त कारागार	08 कार्यालय व्यय	12,25,000 (रुपये बारह लाख पच्चीस हजार मात्र)
9	025	2056001010300 समस्त कारागार	09 विद्युत देय	41,66,67,000 (रुपये इकतालीस करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र)
10	025	2056001010300 समस्त कारागार	10 जलकर / जल प्रभार	33,33,000 (रुपये तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11	025	2056001010300 समस्त कारागार	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	14,50,000 (रुपये चौदह लाख पचास हजार मात्र)
12	025	2056001010300 समस्त कारागार	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	21,67,000 (रुपये इक्कीस लाख सड़सठ हजार मात्र)
13	025	2056001010300 समस्त कारागार	13 टेलीफोन पर व्यय	2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)
14	025	2056001010300 समस्त कारागार	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,05,00,000 (रुपये एक करोड़ पांच लाख मात्र)
15	025	2056001010300 समस्त कारागार	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	18,33,000 (रुपये अठारह लाख तैंतीस हजार मात्र)
16	025	2056001010300 समस्त कारागार	29 अनुरक्षण	8,63,33,000 (रुपये आठ करोड़ त्रेसठ लाख तैंतीस हजार मात्र)
17	025	2056001010300 समस्त कारागार	39 औषधि तथा रसायन	11,33,33,000 (रुपये ग्यारह करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र)
18	025	2056001010300 समस्त कारागार	40 औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	41,33,000 (रुपये इकतालीस लाख तैंतीस हजार मात्र)
19	025	2056001010300 समस्त कारागार	41 भोजन व्यय	1,60,00,00,000 (रुपये एक अरब साठ करोड़ मात्र)
20	025	2056001010300 समस्त कारागार	42 अन्य व्यय	11,00,00,000 (रुपये ग्यारह करोड़ मात्र)
21	025	2056001010300 समस्त कारागार	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	7,20,000 (रुपये सात लाख बीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22	025	2056001010300 समस्त कारागार	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,33,000 (रुपये एक लाख तैंतीस हजार मात्र)
23	025	2056001010300 समस्त कारागार	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	23,33,000 (रुपये तेईस लाख तैंतीस हजार मात्र)
24	025	2056001010300 समस्त कारागार	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
25	025	2056001010300 समस्त कारागार	49 चिकित्सा व्यय	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
26	025	2056001010300 समस्त कारागार	51 वर्दी व्यय	1,95,00,000 (रुपये एक करोड़ पंचानबे लाख मात्र)
27	025	2056001010300 समस्त कारागार	55 मकान किराया भत्ता	6,66,67,000 (रुपये छह करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र)
28	025	2056001010300 समस्त कारागार	57 प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	1,06,67,000 (रुपये एक करोड़ छह लाख सड़सठ हजार मात्र)
29	025	2056001010300 समस्त कारागार	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	36,67,000 (रुपये छत्तीस लाख सड़सठ हजार मात्र)
	कुल			**8,11,10,03,000** **(रुपये आठ अरब ग्यारह करोड़ दस लाख तीन हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2056001020300 (समस्त कारागार)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	025	2056001020300 समस्त कारागार	02 मजदूरी	23,33,000 (रुपये तेईस लाख तैंतीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	025	2056001020300 समस्त कारागार	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3,67,000 (रुपये तीन लाख सड़सठ हजार मात्र)
3	025	2056001020300 समस्त कारागार	42 अन्य व्यय	5,67,000 (रुपये पांच लाख सड़सठ हजार मात्र)
4	025	2056001020300 समस्त कारागार	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र)
	कुल			**5,32,67,000** **(रुपये पांच करोड़ बत्तीस लाख सड़सठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2056008000300 (कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	01 वेतन	1,81,21,000 (रुपये एक करोड़ इक्यासी लाख इक्कीस हजार मात्र)
2	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	02 मजदूरी	8,67,000 (रुपये आठ लाख सड़सठ हजार मात्र)
3	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	03 मंहगाई भत्ता	67,15,000 (रुपये सड़सठ लाख पंद्रह हजार मात्र)
4	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	04 यात्रा व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
5	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	17,000 (रुपये सत्रह हजार मात्र)
6	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	06 अन्य भत्ते	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
7	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण	08 कार्यालय व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		विद्यालय--		मात्र)
8	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	09 विद्युत देय	23,33,000 (रुपये तेईस लाख तैंतीस हजार मात्र)
9	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	10 जलकर / जल प्रभार	3,000 (रुपये तीन हजार मात्र)
10	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
11	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3,33,000 (रुपये तीन लाख तैंतीस हजार मात्र)
12	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	13 टेलीफोन पर व्यय	24,000 (रुपये चौबीस हजार मात्र)
13	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
14	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
15	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	29 अनुरक्षण	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
16	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	42 अन्य व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
17	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	45 अवकाश यात्रा व्यय	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
19	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
20	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	27,000 (रुपये सत्ताईस हजार मात्र)
21	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	49 चिकित्सा व्यय	3,33,000 (रुपये तीन लाख तैंतीस हजार मात्र)
22	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	51 वर्दी व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
23	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	55 मकान किराया भत्ता	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
24	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
	कुल			**3,30,36,000 (रुपये तीन करोड़ तीस लाख छत्तीस हजार मात्र)**
महायोग	8,37,77,24,000 (रुपये आठ अरब सैंतीस करोड़ सतहत्तर लाख चौबीस हजार मात्र)			

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधिनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-95/2022/886/001-22-4-2022-100-B-2021TC, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।